रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2016/माघ 16, 1937
No. 326] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016/ MAGHA 16 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

का.आ. 374 (अ).— जबकि, उत्तराखण्ड राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में जंगली सुअरों की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती-बाड़ी के नष्ट होने सहित जीवन और संपत्ति का नुकसान होने की सूचना दी :-

और जबकि, केन्द्र सरकार ने वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय संख्या को संतुलित करना आवश्यक समझा है ।

इसलिए, अब केंद्र सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की 'अनुसूची III की क्रम सं 19 पर सूचीबद्ध जंगली सुअर (सस सक्रोफा) के इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पीड़कजंतु और इसे उक्त अधिनियम की अनुसूची V में शामिल किए जाने की एतद्वारा घोषणा करती है अर्थात् :-

I. वे क्षेत्र जिनमें जंगली सुअर (*सस स्क्रोफा*) को उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में अनुसूची V में शामिल समझा जाएगा -

क्रम सं.	जिला	क्षेत्र (तहसील)
1.	नैनीताल	नैनीताल, रामनगर, कालधुंगी, हल्द्वानी
2.	उधम सिंह नगर	काशीपुर और जसपुर
3.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, सोमेश्वरा, द्वाराहाट, चौखूटिया, सल्ट, रानीखेत, भनौली, जैंती, भिकियासेन
4.	बागेश्वर	बागेश्वर, कपकोट, कण्डा और गरूर
5.	चंपावत	चंपावत की सभी तहसीलें

6.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ की सभी तहसीलें
7.	उत्तरकाशी	उत्तरकारी की सभी तहसीलें
8.	टेहरी	टेहरी की सभी तहसीलें
9.	गढ़वाल	पौड़ी, श्रीनगर, चौभटकल, धूमाकोट, थालीसेन, सतपुली, लैंसडाउन, यमकेश्वर, लैंसडाउन और कोटद्वार
10.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ
11.	चमौली	जोशीमठ, दशोली, घाट, कर्णप्रयाग, पोखरी, थरानी, गैरसैण
12.	देहरादून	देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर, चक्राता
13.	हरिद्वार	हरिद्वार, रूड़की, लक्सर, भगवानपुर

II. अनूसची-V में जंगली सुअर (*सस स्क्रोफा*) को शामिल किए जाने का निर्णय उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

[एफ. सं. 1-26/2015-डब्ल्यूएल-I]

विनोद रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2016

S.O. 374(E).—Whereas, the State of Uttarakhand has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Wild pig in areas outside forests;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of this species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declare Wild pig (*Sus scrofa*) listed at serial number 19, of Schedule III to the said Act, to be vermin and to be included in Schedule V of the Act, for a period of one year from the date of issue of this notification, in the areas specified below, namely:-

I. Areas where the Wild pig (*Sus scrofa*) shall be deemed to be included in Schedule V in the State of Uttarakhand

Sl. No.	**District**	**Areas (Tehsil)**
1.	Nainital	Nainital, Ramnagar, Kaladhungi, Haldwani
2.	Udham Singh Nagar	Kashipur and Jaspur
3.	Almora	Almora Someshwara, Dwarahat, Chaukhutia, Sult, Ranikhet, Bhanuli, Jainti, Bhikiyasain
4.	Bageshwar	Bageshwar, Kapkot, Kanda and Garur
5.	Champawat	All Tehsils in Champawat
6.	Pithoragarh	All Tehsils in Pithoragarh
7.	Uttarkashi	All Tehsils in Uttarkashi

8.	Tehri	All Tehsils in Tehri
9.	Garhwal	Pauri, Srinagar, Chaubattakhal, Dhumakot, Thalisain, Satpuli, Lansdowne, Yamkeshwar, Lansdowne and Kotdwar
10.	Rudraprayag	Rudraprayag, Jakholi, Ukhimath
11.	Chamoli	Joshimath, Dasholi, Ghat, Karnaprayag, Pokhari, Tharali, Gairsain
12.	Dehradun	Dehradun, Rishikesh, Vikas Nagar, Chakrata
13.	Haridwar	Haridwar, Rudki, Laksar, Bhagwanpur

II. The inclusion of Wild pig (*Sus scrofa*) in Schedule V shall not be applicable in the forest areas of the State of Uttarakhand.

[F. No. 1-26/2015- WL-I]

VINOD RANJAN, Additional Director General of Forests (WL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.